न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/8

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंटसः–
ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम जयपुर, पंजीकृत कार्यालय – 4 फलोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई।	बनाम	1. श्री कैलाश चरपोटा पुत्र श्री शंकर, पता– बांसवाडा रोड, छींच, जिला बांसवाडा 2. श्रीमती वन्दना पत्नी श्री कैलाश चरपोटा, पता– बांसवाडा रोड, छींच, जिला बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 23.02.2023

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम जयपुर, पंजीकृत कार्यालय – 4 फलोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री कैलाश चरपोटा पुत्र श्री शंकर, पता– बांसवाडा रोड, छींच, जिला बांसवाडा 2– श्रीमती वन्दना पत्नी श्री कैलाश चरपोटा, पता– बांसवाडा रोड, छींच, जिला बांसवाडा को दिनांक 27–11–2019 को 330000/– (अक्षरे तीन लाख तीस हजार मात्र) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 08–02–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 22–09–2022 तक कुल बकाया ऋण राशि 329534 रू. (तीन लाख उन्नीस हजार पॉच सौ चौतीस रुपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में प्रतिसमर्थित प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। गिरवीकृत आवासीय सम्पत्ति अप्रार्थी [illegible] कैलाश चरपोटा पुत्र श्री शंकर के नाम की खसरा सं. 1943, रेजीडेन्सीयल ओल्ड हाउस, [illegible] व उत्तर [illegible] 32 फीट ग्राम पंचायत छींच, पंचायत समिति बागीदौरा, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा में स्थित है एवं माप 2024 वर्ग फीट है। को बतौर प्रतिभूति हित से साम्यिक बन्धक किया है, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इक्विटास स्मॉल फायनेंस बैंक लि. को जारी लायसेंस सं. एमयूएम 119 दिनांक 30.06.2016 की प्रति संलग्न है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तिय संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **दिनांक 22–09–2022** को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रो मे दिनांक 19.102022 को प्रकाशित किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा नोटिस पर कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक **27–11–2019** को **330000/– (अक्षरे तीन लाख तीस हजार मात्र)** ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर **दिनांक 08–02–2022 को एन.पी.ए.** के रुप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 11.01.2023 को जारी किये गये। अप्रार्थीगणो के नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने के उपरान्त भी अप्रार्थीण दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे है। ऋणी/अप्रार्थीगण को बार बार रुक रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी/ अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान करना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बंधक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक**

लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम जयपुर, पंजीकृत कार्यालय – 4 फलोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तिय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 23–02–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested